न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 17/2013/225 आर टी ए

सुनीलकुमार पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी फफेना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. रमेश पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी फफेना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. चिरंजीलाल पुत्र मुरलीधर जाति ब्राहम्ण निवासी फफेना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. उपपंजीयक नोहर।
5. भीमसैन पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी फफेना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. मेहनी देवी पुत्री चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी फफेना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रामेती पुत्री चिरंजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी फफेना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.02.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 167/2012 अनवानी सुनील कुमार बनाम रमेशकुमार आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांकः–12.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए इसके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अपीलांट/प्रार्थी विधिक प्रावधानो के विपरीत अपीलाधीन निर्णय के जरिये खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन किये थे कि चक 10 केएनएन व चक 3 बारानी की भूमि की आय से गैरसायल चिरंजीलाल ने चक 5 ए बारानी मे संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति की आय से अर्जित की है उक्त तथ्य भी साक्ष्य का मोहताज है विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय मे यह तथ्य स्वीकार किया है कि हिस्सा संबंधित बिन्दू का निर्धारण दावा मे होना है इस प्रकार अगर दौराने वाद प्रश्नगत भूमि का रहन बैय एवं किसी तरह से हस्तान्तरण होकर अभिलेख एवं मौका स्थिति परिवर्तित होती है तो दावा के दायरी के रोज की स्थिति परिवर्तित हो जाती है एवं पक्षकारान जो एक ही परिवार के सदस्य है, के मध्य विवादो की बाहुलता बढ़ने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे जहां पारिवारिक विवाद हो वहां पर खातेदार काश्तकार के विरूद्ध भी स्थगन जारी किया जा सकता था इस विधिक स्थिति पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय के जरिये स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के समक्ष गैरसायल चिरंजीलाल के गंभीर रूप से बीमार रहने संबंधित साक्ष्य मौजद थे जिनसे स्पष्ट था कि तथाकथित दानपत्र निष्पादित होने से ठीक 5 रोज पूर्व

तक एसकोर्ट हार्ट इन्स्टीटयूट नई दिल्ली मे थे तथा ब्रेन हेमरेज होने से उनकी याददास्त भी चली गई थी एवं निषचेतन अवस्था मे थे उपचार संबंधित उक्त समस्त कथन अपीलांट ने आवेदन पत्र की मद सं. 4 मे अंकित किये थे जिसके आधार पर तथाकथित दानपत्र प्रथम दृष्टया ही सन्देह से परे नही था एवं प्रकरण के हालात को देखते हुए प्रश्नगत दानपत्र प्रथम दृष्टया कतई अवैध व प्रारम्भतः शून्य स्वतः ही सिद्ध था परन्तु उक्त परिस्थितियों को मध्यनजर ना रखकर मात्र अपीलांट का आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने की नियम से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तथाकथित दानपत्र हिस्से से अधिक भूमि का होने से एवं चुनौतीधीन होने से उक्त दस्तावेज के सही होने की अवधारणा नही बनती है परन्तु इस बिन्दू पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2013 पेज 152, आरबीजे 2009 पेज 78, आरआरडी 2002 पेज 744, आरआरटी 2002(1) पेज 324 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि स्व. मुरलीधर की मृत्यु के बाद समस्त भूमि के उसके पांच वारिसान चार पुत्रियों एवं एक पुत्र रेस्पो0 सं. 2 हकदार हुये तथा मुरलीधर की पुत्रियां कलावती, राजेश्वरी, सरस्वती व निर्मला ने अपना

4/5 हिस्सा की भूमि अपने भाई रेस्पो0 सं. 2 के पक्ष मे दस्तबरदार हो गई तथा रेस्पो. सं. 2 को अपने पिता से विरासतन से केवल 1/5 हिस्सा यानि 14 बीघा भूमि मिली है तथा शेष भूमि उसकी खुद की पैदाकरदा भूमि है इस प्रकार रेस्पो0 सं. 2 को अपने पिता से उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार 1/5 हिस्सा प्रथम श्रेणी का वारिस होने के नाते प्राप्त हुई है, जिसका रेस्पो0 सं. 2अकेला स्वामी है जिसमे अपीलांट का किसी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नही है। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 भीमसैन को अपने पिता से कोई स्नेह नही है, मारपीट करते है जिसके कारण रेस्पो0 सं. 2 को गम्भीर चौट आई जिसका ईलाज एस्कोर्ट होस्पीटल दिल्ली मे चल रहा है जिसमे लाखो रूपये खर्च हो रहे है जो रेस्पो0 सं. 1 रमेश कुमार कर रहा है जो अहमदाबाद मे व्यापार करता है जो रेस्पो0 सं. 2 की बीमारी के कारण व्यापार छोड़ कर रेस्पो0 सं. 2 की सेवा चाकरी कर रहा है, रेस्पो0 सं. 1 की सेवा चाकरी से खुश होकर अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता 17/16 की 9.611 है0 मे से 4.805 है0 व चक 3 बारानी के खाता सं. 12/277/306 की 8.016 है0 मे से 4.009 है0 भूमि अपने पुत्र रमेश कुमार के पक्ष मे दान की गई है जो दिनांक 03.08.2012 को तस्दीक करवाया गया है, अब रेस्पो0 सं. 1 खातेदार काश्तकार हो गया है विवादित भूमि रेस्पो0 सं. 6 व 7 का कोई हक व हिस्सा नही है। अपीलांट ने रजिस्टर्ड दस्तावेज दानपत्र के जरिये रेस्पो0 सं. 1 को अपने पिता रेस्पो0 सं. 2 की खातेदारी भूमि से प्राप्त हिस्सा मे अपने अधिकारो की घोषणा चाही है जो दानपत्र के निरस्त करवाये बिना प्राप्त नही कर सकते है तथा दानपत्र को निरस्त करना अधीनस्थ

न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी आधार के किसी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि '' यह तथ्य तो वाद मे तय किया जाना है कि विवादित भूमि मे सायल किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही। गैरसायल सं. 1 के द्वारा करवाये दानपत्र मे वर्णित भूमि गैरसायल की स्वअर्जित भूमि है जिसका दानपत्र करवाने का गैरसायल सं. 1 को पूर्ण अधिकार था दानपत्र को निरस्त करवाने के संबंध मे सक्षम न्यायालय मे वाद भी विचाराधीन है। सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया कि गैरसायल सं. 1 के द्वारा जो भूमि खरीद की गई है वह पुश्तैनी भूमि की आय से खरीद की गई हो और पैतृक सम्पति हो सायल ने समस्त पक्षकारो को भी अपने प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है अर्थात प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। गैरसायल सं. 1 अपने स्वयं के ईलाज पर खर्चा कर रहा है जो गैरसायल सं. 1 के दानपत्र के आधार पर गैरसायल सं. 2 खातेदार काश्तकार हो गया है किसी भी

खातेदार काश्तकार को बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है और ना ही सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया जिससे साबित हो कि अपूर्णीय क्षति या प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे हो जबकि गैरसायल जो खातेदार काश्तकार दानपत्र के आधार पर है, को पाबन्द करने से अपूर्णीय क्षति गैरसाल को होती है ना ही सायल को। इस प्रकार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official